प्रेस नोट दिनांक– 04.01.2021

इटावा पुलिस द्वारा चोरी किये गये ट्रक, टैंकर व अन्य वाहनों का फर्जी तरीके से नागालैण्ड, मणिपुर व अन्य राज्यों से एनओसी कराकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले गैंग के 03 सदस्यों को फर्जी तरीके से रजिस्टर किये गये 41 वाहनों (अनुमानित कीमत 7.50 करोड) सहित गिरफ्तार किया गया।

विवरण–

विगत में एआरटीओ इटावा द्वारा सिविल लाइन पर अभियोग मु0अ0सं0 65/20 धारा 420, 467, 468, 471, 474, 34, 120बी भादवि अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें उनके द्वारा बताया था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति चोरी किये हुए ट्रक, टैंकर, छोटे वाहनों का फर्जी तरीके से नागलैण्ड/मणिपुर आदि राज्यों में चेसिंस नम्बर बदलकर एनओसी लेकर जनपद इटावा व आस पास के जनपदों रजिस्ट्रेशन कराकर चला रहे है।

इस प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 05.11.2020 को मुखबिर की सूचना पर एसओजी इटावा व थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम द्वारा चोरी किये हुए ट्रैक्टरों का फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर बेचने तथा प्रयोग करने की संलिप्तता में 12 ट्रैक्टर व दस्तावेजों सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

उक्त दोनों विवेचनओं के दौरान प्राप्त आसूचनाओं पर ठोस कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा माह दिसम्बर में कई टीमों का गठन किया गया था गठित टीमों को विभिन्न जनपदों में पतारसी और सुरागरसी हेतु रवाना किया गया था जिसमें पुलिस टीम द्वारा अन्य जनपदों में जाकर मुखबिरों की सहायता से कई फर्जी गाडियों को चिन्हित किया गया जिसके बाद से टीमों द्वारा लगातार सूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था।

उपरोक्त के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा विस्तृत जांच करायी गयी जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आये कि इस प्रकार का एक गिरोह ऑटो ट्रॉन्सपोर्ट के क्षेत्र में चल रहा है जो चोरी किये गये वाहनों को फर्जी तरीके से दूरस्थ प्रदशों से चेसिस नम्बर बदलकर एनओसी लेकर जनपद इटावा व औरैया से रजिस्ट्रेशन कराता है जिसमें परिवहन विभाग के कई जनपदों के आरटीओ, क्लर्क व दलाल भी संलिप्त है। जिसके सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर/अपराध के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा ट्रॉस्पोर्ट सेक्टर में संलिप्त गैंग के विरूद्व साक्ष्य संकलित किये गये तथा सभी टीमों को विभिन्न स्थानों पर रवाना किया गया था।

इसी दौरान एसओजी इटावा व थाना सिविल लाइन पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति लाइन सफारी के सामने बन्द पडे प्लान्ट के पास कई ट्रक, टैंकर के साथ स्कॉर्पियो व टाटा आरिया गाडी में एकत्र हुए है। चोरी तथा कूट रचित ट्रक व टैंकरों फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराकर दलालों के माध्यम से मध्य प्रदेश में बेचने के लिये ले जाने की फिराक में है।

मुखबिर की सूचना के आधार पर गठित टीमों द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान से स्कोर्पियो व टाटा आरिया कार से 03 बदमाशों को घेराबन्दी करके गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।

गिरफ्तार किये गये बदमाशों से मौके पर खडे ट्रक व टैंकर के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन चोरी के है जिनका हम लोगों द्वारा नागालैण्ड से चैसिंस नम्बर बदलवाकर रजिस्ट्रेशन कराया गया है तथा उसके उपरान्त जनपद औरैया के एआरटीओ व आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलकर एनओसी ली गयी है एवं अब हम लोग इन ट्रक व टैंकरों को मध्य प्रदेश में बेचने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक पॉकेट डायरी भी बरामद हुई जिसको चेक करने पर डायरी में 35 वाहन नम्बर लिखे हुए थे जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह वाहन नम्बर उन गाडियों के नम्बर है जिनका अभियुक्तों द्वारा नागालैण्ड से फर्जी चेसिंस नम्बर डलवाकर एनओसी लेकर जनपद इटावा व औरैया के तत्कालीन एआरटीओ, उनके क्लर्कों व एआरटीओ के दलालों के साथ मिलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त किये गये है।

अभियुक्तों की पॉकेट डायरी से प्राप्त हुए वाहनों नम्बरों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन नम्बरों के ट्रक, टैंकर व अन्य वाहन जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात, एटा, मैनपुरी, बरेली, शाहजहांपुर एवं अन्य आस पास के जनपदों में चल रहे है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा कई टीमें गठित कर सभी ट्रक व टैंकर को बरामद करने हेतु रवाना किया गया था। जिसके सम्बन्ध में सभी टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न स्थानों से अन्य 35 ट्रक/टैंकरों अन्य वाहनों को बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्तों से की गई पूछताछ में मनोज कुमार सिंह एआरटीओ औरैया व क्लर्क एवं तत्कालीन एआरटीओ इटावा व आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी/दलाल की संलिप्तता सामने आयी है।

उक्त के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्तों व एआरटीओ, तत्कालीन एआरटीओ व आरटीओ कार्यालय के क्लर्क आदि के विरूद्व थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 05/21 धारा 411, 420, 467, 468, 471, 474, 34, 120बी भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः–</u>

1. दिलीप कठेरिया पुत्र शिवराम सिंह नि0 काशीराम कालोनी थाना जसवन्तनगर।
2. राजीव गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता नि0 640 दुर्गाबुर्ज रोजा जनपद–शाहजहांपुर।
3. राघवेन्द्र सिंह पुत्र रामदास यादव नि0 सारगपुरा कचौरा रोड थाना सिविल लाइन।

<u>बरामदगी–</u>

1. 11 ट्रक
2. 18 टैंकर
3. 01 डीसीएम
4. 02 स्कोर्पियो कार
5. 01 जायलो कार
6. 02 सेन्ट्रो कार
7. 01 मारूति अर्टिगा कार
8. 01 हुण्डई वरना कार
9. 01 मैक्स पिकअप
10. 01 लोडर
11. 01 टाटा आरिया कार
12. 01 टाटा इण्डिगो कार

<u>पुलिस टीम–</u> प्रथम टीम– श्री सत्येन्द्र सिंह यादव प्रभारी एसओजी इटावा, श्री बेचन सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

द्वितीय टीम– श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन मय टीम।

तृतीय टीम– श्री नवरतन गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना फ्रेण्डस कालोनी मय टीम।

चतुर्थ टीम– श्री जीवाराम यादव प्रभारी निरीक्षक थाना बढपुरा मय टीम।

पंचम टीम– श्री अंजन कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बकेवर मय टीम।

षष्टम टीम– श्री अनिल कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना मय टीम।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद–इटावा।